

महोदयजी

निवेदन है कि जमींदारी कर्दमाला पंचोली के सलग दस्तावेजों का अवलोकन किया गया उक्त का मे गोटीबाई बेनाबाई बबलीबाई लालीबाई 18. श्री पी.माल आरक्षण संपादन रिक्त में उक्त उक्त वक्ता विभाग के नाम में प्रचलित नाम उक्त के नाम जखने दस्तावेजों में गोटीबाई उर्फ प्रेमदेवी तथा बेनाबाई उर्फ शांतीबाई बबलीबाई उर्फ बसन्तीबाई लालीबाई उर्फ शारदादेवी 3 अंत दस्तावेजों के मुताबिक संपादन रिक्त में शुद्ध विवरण प्रमाण उपरोक्त है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

33

21-11-22  
पटवारी  
पटवार मण्डल  
तह-मावली, जिला-उदयपुर (राज.)


महोदयजी,

निवेदन है कि जमींदारी कर्दमाला पंचोली के संबंधित दस्तावेजों एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का सनवाड़ के आधार पर वक्त विरालत के नामों में प्रचलित नाम गोटीबाई, बेनाबाई, बबलीबाई, लालीबाई पिता गोपीबाबा ब्राह्मण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ले गया। परन्तु संबंधित दस्तावेजों एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार उक्त नाम गोटीबाई उर्फ प्रेमदेवी, बेनाबाई उर्फ शांतादेवी, बबलीबाई उर्फ बसन्तीदेवी तथा लालीबाई उर्फ शारदादेवी, राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध उचित जाना उपरोक्त है।

आदेश

Handwritten signature

तहसीलदार मावली एवं पटवारी सनवाड़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड, स्टाम्प पर शपथ पत्र, पार्षद कार्ड न. 4 द्वारा जमींदारी पत्र के अवलोकन से मौजा सनवाड़ पटवार हल्का सनवाड़ की खाता सं. 1283 में खातेदार गोटीबाई, बेनाबाई, बबलीबाई, लालीबाई का नाम गलत अंकित हो जाने से सुधार जाना उचित प्रतीत होता है। अतः राजस्व रेकार्ड में खातेदार गोटीबाई के बजाय गोटीबाई उर्फ प्रेमदेवी, बेनाबाई के बजाय बेनाबाई उर्फ शांतादेवी, बबलीबाई के बजाय बबलीबाई उर्फ बसन्तीदेवी व लालीबाई के बजाय लालीबाई उर्फ शारदादेवी संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली केसल कुमार होकर भेजा है। निम्न अनुशासित गया।



उपखण्ड अधिकारी  
(एस.डी.ओ.) मावली  
उपखण्ड अधिकारी  
मावली, जिला उदयपुर